संख्या- 4/264/2016/154/84-1-16-20बामा/2014 टीसी

प्रेषक,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी,
अनु सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 21 मार्च, 2016

विषय- विधिक माप विज्ञान विभाग में प्रशिक्षण मद में आवश्यक धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-98/निविमावि-लेखा-7(25)मॉग/2015-16, दिनॉक 14 मार्च, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग को नियुक्ति विभाग के शासनादेश दिनांक 06-03-2016 द्वारा एमसीआर एचआरडी, इनस्टीटयूट हैदराबाद में कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार नामित किया गया है। उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए रू0 2,25,000/- का डिमाण्ड डाफट प्रस्तुत करने के निर्देश है, तत्क्रम में उक्त धनराशि के भुगतान हेतु श्री राज्यपाल महोदय रू0 2,25,000/- (दो लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र को पुनर्विनियोग कर व्यय करने की इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुरूप किया जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य-आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान-03-मंहगाई भत्ता में हो रही बचत से पुनर्विनियोग कर वहन की जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान-44-प्रशिक्षण पर व्यय मद में संलग्न बी0एम0-9 के कॉलम-10 अनुसार प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत व्यय की जायेगी।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का अन्य मदों में व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-7/246/दस-2016, दिनॉक 18 मार्च 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या- 4/264(1)/2016/154(1)/84-1-16-20बामा/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
9- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन

(संदर्भ:- बजट मैनुअल का प्रस्तर -158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे अनुदेशों को भली- भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-21 -खाद्य एवं रसद विभाग (उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप) वित्तीय वर्ष 2015-16 (धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान (विनियोग) (2-5)
1	2	3	4	5	6
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-03-महंगाई भत्ता	16,77,49	25780	225	225	167524
योग-	16,77,49	25780	225	225	167524

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-44-प्रशिक्षण व्यय	500	725	225	225	725
योग-	500	725	225	225	725

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण स्वीकृत पदों का रिक्त होना है ।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय का कारण नियुक्ति विभाग के शासनादेश दिनांक 06-03-2016 द्वारा नियंत्रक को उक्त धनराशि का डाफट लेकर प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने के निर्देश ।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी
अनु सचिव।
खाद्य एवं रसद विभाग।

संख्या- आर0ई0-572 /ई-7-246/दस-2015 दिनॉक 18 मार्च, 2016

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

अरूण कुमार दुबे
उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 4/264 (2)/2016/154/84-1-16/2015 दिनॉक 21 मार्च, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उ0प्र0, लखनऊ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी
अनु सचिव।

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in